

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 06 / 2024

दिनांक मरजुआ : 07-12-2024

तारीख फैसला : 18-01-2025

उनवान मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री देस राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र जन्म व मृत्यु पंजीकरण जेर धारा 13(3) पंजीकरण अधिनियम, 1969.

श्री देस राज पुत्र स्व0 श्री दया नन्द, निवासी गांव धनाह, डा0 नित्थर, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने एक आवेदन-पत्र जिला रजिस्ट्रार जन्म व मृत्यु एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू, जिला कुल्लू के कार्यालय पत्र संख्या HFW-ST (B&D) Delay Birth and Death-KLU-2020-19536-36, दिनांक 28-11-2024 जो कार्यकारी दण्डाधिकारी उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित है। इस कार्यालय में प्रस्तुत किया है तथा प्रार्थी ने शपथ-पत्र में उल्लेख किया है कि उसका जन्म 14-03-1970 को गांव धनाह में हुआ है परन्तु गलती से आधार कार्ड में 10-03-1970 दर्ज किया गया है। अब प्रार्थी ने ग्राम पंचायत देहरा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में अपना जन्म 14-03-1970 दर्ज करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को ग्राम पंचायत देहरा के जन्म पंजीकरण रजिस्टर में 14-03-1970 दर्ज करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-01-2025 को प्रातः 10 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके मृत्यु दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 15 / 2024

दिनांक मरजुआ : 26-11-2024

तारीख पेशी : 18-01-2025

मुकद्दमा : इन्द्राज सेहत नाम

श्री आलम चन्द पुत्र स्व0 श्री दौलत राम, निवासी गांव व डा0 दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

प्रार्थना पत्र U/S 35 ता 37 हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत बाबत नाम दुरुस्ती बारे।

श्री आलम चन्द पुत्र स्व० श्री दौलत राम, निवासी गांव व डा० दुराह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में एक प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र व अन्य दस्तावेजों सहित प्रस्तुत किया है। जिसमें वर्णन किया गया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में आलमू पुत्र स्व० श्री दौलत राम, लिखा गया है, जोकि गलत दर्ज हुआ है जबकि उसका नाम आलम चन्द है। पंचायत रिकार्ड दुराह, आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र में आलम चन्द दर्ज है। अब प्रार्थी ने अपना नाम राजस्व अभिलेख फाटी लोट में आलमू पुत्र स्व० श्री दौलत राम के स्थान पर आलम चन्द पुत्र स्व० श्री दौलत राम दुरुस्त करने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी लोट में आलमू के स्थान पर आलम चन्द दुरुस्त करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 18-01-2025 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर राजस्व अभिलेख फाटी लोट में नाम दुरुस्ती दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 18-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)

तारीख पेशी : 24-01-2025

श्रीमती तारा देवी पुत्री हीरा लाल, निवासी गांव ढमाह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि०प्र०)।

प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

फरीकदोयम।

प्रार्थना पत्र जेर धारा 8.47 (III) हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बाबत मकफूद उलखबरी श्री हीरा लाल पुत्र जिसू, निवासी ढमाह फाटी व उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि०प्र०) बारे।

श्रीमती तारा देवी पुत्री हीरा लाल, निवासी गांव ढमाह, उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू ने उपमण्डलाधिकारी (ना०) निमण्ड के कार्यालय पत्र संख्या एस०डी०एम०/एन०एम०डी०/एस०डी०के०/विविध/2024-2652 दिनांक 19-12-2024 जो नायब तहसीलदार, उप-तहसील नित्थर को सम्बोधित हुआ है जिसमें वर्णन किया गया कि हीरा लाल पुत्र जिसू, निवासी गांव ढमाह फाटी नित्थर लगभग 40 वर्षों से लापता है। हीरा लाल की पुत्री तारा देवी ने प्रार्थना-पत्र में लिखा है कि उनका आज तक न जीवित न मरने की जानकारी प्राप्त हो रही है। उनके नाम पर फाटी नित्थर में भू-सम्पत्ति है। तारा देवी ने लापता पिता का मकफूद उलखबरी के इन्तकाल के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में हीरा लाल पुत्र जिसू, निवासी गांव ढमाह का मकफूद उलखबरी का इन्तकाल करने बारा कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन/वकालतन तारीख पेशी 24-01-2025 तक किसी भी सरकारी दिवस में प्रातः 10.00 बजे तक इस अदालत में हाजिर होकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकते हैं। बसूरत गैरहाजिरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर मकफूद उलखबरी का इन्तकाल राजस्व अभिलेख फाटी नित्थर में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 24-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप-तहसील नित्थर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव रांगडी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रकाशन इशतहार बाबत जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

नोटिस बनाम आम जनता।

कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द, निवासी गांव रांगडी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में अपनी जन्म तिथि का पंजीकरण करने बारे आवेदन-पत्र, मय शपथ-पत्र गुजारा है कि आवेदिका का जन्म दिनांक 22-04-2001 को हुआ है परन्तु ग्राम पंचायत नसोगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं है जिसे अब वह दर्ज करवाना चाहती है। इस बाबत क्षेत्रीय अभिकरणों से छानबीन करवाई गई तथा पाया गया कि कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द की जन्म तिथि 22-04-2001 है तथा जन्म तिथि दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को कुमारी टिंवकल पुत्री श्री प्रेम चन्द की जन्म तिथि दर्ज करवाने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-02-2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार ग्राम पंचायत नसोगी के जन्म तथा मृत्यु पंजीकरण अभिलेख में जन्म तिथि दर्ज करवाने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 09-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

समक्ष अदालत श्री भीम सिंह नेगी, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग आनी, तहसील आनी,
जिला कुल्लू (हि0प्र0)

मिसल नं0 : 05 / 2024(दुरुस्ती इन्द्राज)

तारीख संस्थापन : 22 -04-2024

श्री राम लाल उर्फ राम धन पुत्र श्री वृकम, निवासी गांव करशाला, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड,
तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

भू-राजस्व अधिनियम, 1954 की धारा 37(1) के तहत राजस्व कागजात में नाम दुरुस्ती बारे दरखास्त।

श्री राम लाल उर्फ राम धन पुत्र श्री वृकम, निवासी गांव करशाला, डा0 लगौटी, फाटी करशैईगाड,
तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने अदालत हजा में प्रार्थना-पत्र मय नकल जमाबन्दी साल 2019-20
नकल परिवार रजिस्टर, प्रतिलिपि आधार कार्ड, विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र व शपथ पत्र सहित गुजार कर
निवेदन किया है कि पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में अराजी खाता/खतौनी नं0 240/310,
241/311 व 243/315 में उसका नमा रामधन गलत दर्ज है, जबकि प्रार्थी के मुताबिक उसका नाम प्रस्तुत
करवाये गए सबूतों के अनुरूप राम लाल है। आवेदक ने निवेदन किया है कि पटवार वृत्त करशैईगाड के
राजस्व कागजात में उसके नाम को दुरुस्त किया जावे।

यह मिसल अदालत हजा से छानबीन व रिपोर्ट हेतु कानूनगो वृत्त आनी को भेजी गई। मुताबिक रिपोर्ट
क्षेत्रीय कानूनगो आवेदक का नाम पटवार वृत्त करशैईगाड के राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हुआ है। राम लाल
व रामधन एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं, जिस बारे स्थानीय लोगों के ब्यान भी संलग्न हैं। इसलिए रामधन
उर्फ राम लाल दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह तिथि 30-01-2025 को प्रातः
11.00 बजे तक अथवा इस तिथि से पूर्व किसी भी कार्यदिवस में असालतन/वकालतन हाजिर आकर अपना
एतराज दर्ज करवा सकता है अन्यथा इस तिथि तक कोई भी एतराज न होने की सूरत में प्रार्थी का नाम
कागजात माल में दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह आदेश आज दिनांक 30-12-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुए।

मोहर।

भीम सिंह नेगी,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील आनी, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।
